इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 266] भोपाल, गुरुवार, दिनांक 4 जुलाई 2019—आषाढ़ 13, शक 1941

वन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 4 जुलाई 2019

क्र. 1410-957-2018-दस-2.—जैवविविधता अधिनियम, 2002 (2003 का 18) की धारा 63 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश जैवविविधता नियम, 2004 में निम्नालिखित संशोधन करती है, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त नियमों में, –

नियम 17 में, उप–नियम (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उप–नियम स्थापित किया जाए अर्थात् :–

(1) वाणिज्यिक उपयोग के लिये जैव संसाधनों तथा उनसे सम्बद्ध जानकारी तक पहुंच उनका संग्रहण चाहने वाला कोई व्यक्ति इन नियमों से संलग्न प्रारूप–1 में बोर्ड को आवेदन करेगा। वाणिज्यिक उपयोग के प्रत्येक आवेदन के लिए रूपए 1000/– की फीस होगी और वह चेक या डिमान्ड ड्राफ्ट के रूप में होगी।"।

2. नियम 23 में :—

(1) उप–नियम (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उप–नियम स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"(1) प्रत्येक स्थानीय निकाय अपनी अधिकारिता के क्षेत्र के भीतर एक जैवविविधता प्रबंधन समिति का गठन करेगा। तदनुसार, जिला पंचायत, जनपद पंचायत, ग्राम पंचायत एवं ग्राम सभा स्तर के साथ–साथ नगर पंचायत, नगरपालिका एवं नगर निगम के वार्ड स्तर पर भी जैवविविधता प्रबंधन समितियों का गठन किया जाएगा। ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत एवं जिला पंचायत, नगर पंचायत, नगरपालिका एवं नगर निगम स्तर की जैवविविधता प्रबंधन समितियां कार्यपालिक समितियां होंगी।"।

(2) उप–नियम (2) के स्थान पर, निम्नलिखित उप–नियम स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"(2) यदि स्थानीय निकाय का यह समाधान हो जाए कि जैवविविधता प्रबंधन समितियों के कृत्य का निर्वहन स्थानीय निकाय की सामान्य सभा या इसकी विद्यमान समितियों में से किसी एक या ग्राम सभा स्तर पर मध्यप्रदेश वन विभाग के संकल्प क्रमांक 16–4–91–10–2 दिनांक 22–10–2001 के अधीन गठित वन समिति (जे एफ एम एस) द्वारा किया जा सकता है, तो इसे ऐसे स्थानीय निकाय द्वारा सम्यक प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए पारित संकल्प के रूप में अभिलिखित किया जाएगा। यदि वन विभाग के संकल्प में उल्लिखित समिति को जैवविविधता प्रबंधन समितियों की जिम्मेदारी सौंपी जाती है, तो ऐसी समिति "वन समिति (जे एफ एम एस) सह जैवविविधता प्रबंधन समिति" कहलाएगी।"।

(3) उप–नियम (6) के पश्चात्, निम्नलिखित उप–नियम अन्तःस्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"(6क) जैवविविधता प्रबंधन समिति (बी एम सी) का अध्यक्ष, जैवविविधता समिति के सम्मिलन में उपस्थित होने के लिए जैवविविधता बोर्ड द्वारा यथा विनिश्चित बैठक भत्ते का हकदार होगा।"।

(4) उप–नियम (7) के पश्चात्, निम्नलिखित उप–नियम अन्तःस्थापित किया जाए; अर्थात् :—

"(7क) जैवविविधता प्रबंधन समिति का अध्यक्ष प्रत्येक 3 माह में जैवविविधता प्रबंधन समिति का सम्मिलन बुलाएगा।"।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

कैप्टन अनिल कुमार खरे, सचिव.

3. प्ररूप–1 के स्थान पर, निम्नलिखित प्ररूप स्थापित किया जाए, अर्थात् :–

"प्ररूप एक
(नियम 17 देखिए)

वाणिज्यिक उपयोग एवं संबंधित पारंपरिक जानकारी/जैव संसाधनों तक पहुंच/जैविक संसाधनों को संग्रहण करने के लिए आवेदन पत्र

भाग क

1.	आवेदक का पूर्ण विवरण :	
(एक)	नाम :	
(दो)	स्थायी पता :	
(तीन)	संपर्क/मोबाइल/लैण्डलाइन नंबर	
(चार)	ई–मेल/वेबसाइट	
(पांच)	भारत में, संपर्क व्यक्ति/अभिकर्ता, यदि कोई हो, का पता :	
(छह)	व्यक्ति/संगठन की रूपरेखा (यदि आवेदक कोई व्यक्ति हो तो व्यक्तिगत रूपरेखा। कृपया अधिप्रमाणन के सुसंगत दस्तावेज संलग्न करें)	
(सात)	कारोबार की प्रकृति (व्यापारी/विनिर्माता) :	
(आठ)	भारतीय रूपए में संगठन का टर्नओवर : (उपाबंध–1–टी तथा 1–एम के अनुसार टर्नओवर के ब्यौरे उपलब्ध कराएं)	
2.	चाही गई पहुंच की प्रकृति तथा जैविक सामग्री और/या संबंधित जानकारी, जिस तक पहुंच प्राप्त की जानी है, के बारे में ब्यौरे तथा विनिर्दिष्ट जानकारी।	
(एक)	जैवसंसाधन की पहचान (वैज्ञानिक नाम) एवं उसका पारंपरिक उपयोग :	
(दो)	प्रस्तावित संग्रहण की भौगोलिक स्थिति (जिसमें सम्मिलित है जैवविविधता प्रबंधन समिति, ग्राम, जनपद तथा जिला या वन क्षेत्र बीट, रेंज, वनमण्डल):	
(तीन)	पारंपरिक ज्ञान का विवरण/प्रकृति (मौखिक/प्रलेखित)	
(चार)	पारंपरिक ज्ञान रखने वाला कोई पहचाना हुआ व्यक्ति/समुदाय:	

(पांच)	संग्रहीत किए जाने के लिए प्रस्तावित जैवसंसाधनों की मात्रा (अनुसूची प्रदान करें)	
(छह)	समय–सीमा जिसमें जैवसंसाधन संग्रहीत किया जाना प्रस्तावित है :	
(सात)	संग्रहण करने के लिए कम्पनी द्वारा प्राधिकृत व्यक्तियों के नाम और संख्या :	
(आठ)	वह प्रयोजन, जिसके लिए पहुंच का अनुरोध किया गया है, जिसमें सम्मिलित है अनुसंधान का प्रकार और विस्तार, इससे व्युत्पन्न हो रहे और व्युत्पन्न होने के लिए प्रत्याशित का वाणिज्यिक उपयोग	
(नौ)	क्या जैवसंसाधनों के संग्रहण से जैवविविधता के किसी घटक को खतरा है। वह जोखिम जो पहुंच से उत्पन्न हो सकते हैं :	
3.	उन जैवसंसाधनों तथा पारंपरिक ज्ञान, जिन तक पहुंच की गयी, के प्रयोग से समुदायों को हो सकने वाले लाभों का प्राक्कलन।	
4.	लाभों के प्रभाजन के लिए प्रस्तावित कार्यविधि तथा व्यवस्थाएं।	
5.	क्या आपके विरूद्ध स्थानीय विधि के अनुसार कोई आपराधिक कार्यवाही/दायित्व चल रहे हैं। यदि हां, तो विनिर्दिष्ट करें।	
6.	कोई अन्य जानकारी, जो सुसंगत समझी जाए,	

तारीख :

स्थान :

आवेदक/**प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम एवं हस्ताक्षर

पताः

मुद्राः

भाग ख
घोषणा

मैं/हम यह घोषणा करते हैं कि

1. प्रस्तावित जैवसंसाधनों के संग्रहण, संसाधन की पोषणीयता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ;
2. प्रस्तावित जैवसंसाधनों के संग्रहण से पारिस्थितिकी तंत्र के लिए कोई खतरा उत्पन्न नहीं करेगा ;
3. प्रस्तावित जैवसंसाधनों के संग्रहण से आनुवांशिक विविधता, प्रजातियां तथा पारिस्थितिकी तंत्र स्तर सहित जैवविविधता के लिए कोई खतरा उत्पत्र नहीं करेगा।
4. प्रस्तावित जैवसंसाधनों का संग्रहण स्थानीय समुदायों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा;

मैं/हम, यह घोषणा करते हैं कि कोई भी फीस या रायल्टी का, जो बोर्ड या जैवविविधता प्रबंधन समिति द्वारा उद्गृहीत की जाए, भुगतान करने का वचन देते हैं। यह अवसूलीय बैंक प्रत्याभूति या बोर्ड द्वारा यथा विनिश्चित प्ररूप में होगी।

मैं/हम और यह घोषणा करते हैं कि, आवेदन पत्र में दी गई जानकारी सही एवं सत्य है तथा मैं/हम किसी गलत/असत्य जानकारी के लिए जिम्मेदार होंगे।

5. मैं/हम जैवविविधता अधिनियम, 2002 (2003 का 18) की धारा 3(2) के अंतर्गत जानकारी निम्नवत् है :–

धारा 3(2): उन न्मिलिखित व्यक्तियों जिनसे उप–धारा (1) के अधीन राष्ट्रीय जैवविविधता प्राधिकरण का अनुमोदन लेना अपेक्षित होगा, अर्थात् :–

(1) वह व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है;

(2) भारत का ऐसा नागरिक जो आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 2 के खंड (30) में यथा परिभाषित अनिवासी है।

(3) ऐसा निगमित निकाय, संगम या संगठन जो–

(एक) भारत में निगमित या रजिस्ट्रीकृत नहीं है ; या

(दो) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन भारत में निगमित या रजिस्ट्रीकृत है, जिससे उसकी शेयर पूंजी या प्रबंधन न में कोई गैर–भारतीय भागीदारी है।

इस संबंध में, मैं इसके साथ निम्नलिखित घोषणा कर रहा हूं कि :–

***मैं/हम एतद्द्वारा यह घोषणा करते हैं कि मैं/हम जैवविविधता अधिनियम, 2002 (2003 का 18) की धारा 3(2) में अन्तविष्ट उपबंधों की परिधि के अधीन आते हैं/नहीं आते हैं।**

(* जो लागू न हो उसे काट दें)

तारीख : स्थान :	आवेदक/प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम एवं हस्ताक्षर पताः मुद्राः

**यदि आप प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता हैं तो मूल मुख्तारनामा उपलब्ध कराएं।

प्रति,

सदस्य सचिव,
मध्यप्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड
26, किसान भवन,
प्रथम तल, अरेरा हिल्स, भोपाल–462011.

उपाबंध 1–टी

विगत तीन वर्षों के वार्षिक टर्नओवर के ब्यौरे (व्यापारी के लिए)

(प्ररूप 1, भाग – क बिन्दु 1 (आठ) एवं 2 (एक, दो, पांच, छह, आठ))

जैव–संसाधन का नाम (स्थानीय)	जैव–संसाधन का नाम वैज्ञानिक	मात्रा किलो ग्राम में	क्रय मूल्य 1 किलो ग्राम रूपए में	गोदाम की अवस्थिति तथा उसका पूर्ण पता	प्रस्तावित संग्रहण की अवस्थिति							संग्रहण अवधि	क्रेता का नाम एवं पूरा पता
					राजस्व क्षेत्र				वन क्षेत्र				
					बी एम सी	ग्राम	ब्लाक	जिला	बीट	रेंज	वनमण्डल		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)		

टीप : विहित प्ररूप में जानकारी देने के लिए आवश्यकतानुसार अतिरिक्त कागज संलग्न किए जा सकते हैं।

हस्ताक्षर

व्यापारी / कंपनी / विनिर्माता / प्राधिकृत प्रतिनिधि का नाम

उपाबंध 1—एम

विगत तीन वर्षों के वार्षिक टर्नओवर के ब्यौरे (विनिर्माण के लिए)

(प्ररूप 1, भाग – क बिन्दु 1 (आठ) एवं 2 (एक, दो, पांच, छह, आठ))

जैव–संसाधन का नाम (स्थानीय)	जैव–संसाधन का नाम (वैज्ञानिक)	मात्रा (किलो ग्राम में)	क्रय मूल्य 1 किलो ग्राम में	क्रेता का नाम/पूरा पता/मोबाइल/ई.मेल/वेबसाइट	गोदाम की अवस्थिति तथा उसका पूर्ण पता	विनिर्मित उत्पाद के ब्यौरे		विक्रय मूल्य	बचे हुए जैव–संसाधन	अन्य ब्यौरे
						अपूर्ण उत्पाद	पूर्ण उत्पाद			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)

: विहित प्ररूप में जानकारी देने के लिए आवश्यकतानुसार अतिरिक्त कागज संलग्न किए जा सकते हैं।

भोपाल, दिनांक 4 जुलाई 2019

क्र. डी-1410-957-2018-दस-2.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की सूचना क्रमांक-1410-957-2018-दस-2, दिनांक 04 जुलाई 2019 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कैप्टन अनिल कुमार खरे, उपसचिव.

Bhopal, the 4th July 2019

No. 1410-957-2018-X-2.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 63 of the Biological Diversity Act, 2002 (18 of 2003), the State Government, hereby, makes the following amendments in the Madhya Pradesh Biological Diversity Rules, 2004, namely:—

AMENDMENT

In the said Rules, -

1. In rule 17, for sub-rule (1), the following sub-rule shall be substituted, namely:-

   "(1) Any person seeking access to/collection of biological resources and associated knowledge for commercial utilization shall make an application to the Board in Form-1 appended to these rules. Every application for commercial utilization, shall be accompanied by a fee of Rs. 1000/- in the form of a cheque or demand draft.".

2. In rule 23,

   (1) for sub-rule (1), the following sub-rule shall be substituted, namely:-

   "(1) Every local body shall constitute a Biodiversity Management Committee within its area of jurisdiction. Accordingly, Biodiversity Management Committees are to be constituted at Zila Panchayat, Janpad Panchayat, Gram Panchayat and Gram Sabha level as well as at ward level in Nagar Panchayat, Municipality and Municipal Corporation. Gram Sabha, Gram Panchayat, Janpad Panchayat and Zila Panchayat, Nagar Panchayat, Municipality and Municipal Corporation level Biodiversity Management Committees shall be Executive Committees.".

(2) for sub-rule (2), the following sub-rule shall be substituted, namely:-

"(2) If the local body is satisfied that the function of the Biodiversity Management Committee can be discharged by the general assembly of the local body, or by one of its existing committees or Forest Committee (JFMCs) constituted under Govt. of M. P., Forest Dept's resolution no. 16-4-91-10-2 dated 22.10.2001 at Gram Sabha level, the same should be recorded as resolution passed by such local body, following due procedure. If Committee mentioned in Forest Dept. resolution is given the responsibility of BMCs, such Committee will be called as "Forest Committee (JFMCs) cum Biodiversity Management Committee.".

(3) after sub-rule (6), the following sub-rule shall be inserted, namely:-

"(6a) The Chairperson of Biodiversity Management Committee (BMC) shall be entitled for meeting allowance for attending meeting of Biodiversity Management Committee as decided by the Board.".

(4) after sub-rule (7), the following sub-rule shall be inserted, namely:-

"(7a) The Chairperson of Biodiversity Management Committee shall convene the meeting of Biodiversity Management Committee in every 3 months.".

By Order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
CAPT. ANIL KUMAR KHARE, Secretary.

3. For Form - I, the following Form shall be substituted, namely:-

"Form I
(See rule 17)
Application form for commercial use and associated traditional knowledge/access to biological resources/collecting of biological resources
Part A

1.	Full particulars of the applicant:	
(i)	Name :	
(ii)	Permanent address :	
(iii)	Contact/Mobile/Landline No.	
(iv)	Email/ Website	
(v)	Address of the contact person/agent, if any, in India:	
(vi)	Profile of the person/organization (personal profile in case the applicant is an individual. Please attach relevant documents of authentication)	
(vii)	Nature of business (Traders/ Manufacturer):	
(viii)	Turnover of the organization in Indian Rupees: (Please provide details of turnover as per the Annexure-1- T and 1-M)	
2.	Details and specific information about nature of access sought and biological material and/or associated knowledge to be accessed.	
(i)	Identification (scientific name) of biological resources and its traditional use:	
(ii)	Geographical location of proposed collection (includes Biodiversity Management Committee, village, janpad and district or forest area-Beat, Range, Division):	
(iii)	Description/nature of traditional knowledge (oral/documented):	
(iv)	Any identified individual/community holding the traditional knowledge:	

(v)	Quantity of biological resources is proposed to be collected (give the schedule) :	
(vi)	Time span in which the biological resources is proposed to be collected:	
(vii)	Name and number of person authorized by the company for making the selection:	
(viii)	The purpose for which the access is requested including the type and extend of research, commercial use being derived and expected to be derived from it:	
(ix)	Whether any collection of the biological resource endangers any component of biological diversity and the risks which may arise from the access:	
3.	Estimation of benefits that would flow to communities arising out of the use of accessed bio-resources and traditional knowledge:	
4.	Proposed mechanism and arrangements for benefit sharing.	
5.	If there has been any criminal proceeding/Liability going on against you as per law of the land. If yes, please specify.	
6.	Any other information considered relevant.	

Date :

Place :

Name & Signature of the
Applicant/* * Authorized Signatory

Address:

Seal:

Part B
Declaration

I/we declare that

1. Collection of proposed biological resources shall not adversely affect the sustainability of the resource;
2. Collection of proposed biological resources shall not pose any risk to ecosystems;
3. Collection of proposed biological resources shall not pose any risk to biodiversity inclusive of genetic, species and ecosystem levels.
4. Collection of proposed biological resources shall not adversely affect the local communities;

   I/we declare that we hereby abide to pay any fees or royalty which may be levied either by the Board or Biodiversity Management Committee/s. This will be in the form of non-refundable bank guarantee or as decided by the Board.

   I/we further declare the information provided in the application form is true and correct and I/we shall be responsible for any incorrect/wrong information.

5. I am/ we are aware that the section 3(2) of the Biological Diversity Act, 2002 (18 of 2003) states as under:-

   Section 3(2): "The persons who shall be required to take the approval of the National Biodiversity Authority under sub-section (1) are the following, namely:

   (1) A person who is not a citizen of India;

   (2) A citizen of India, who is a non-resident as defined in clause (30) of section 2 of the Income Tax Act, 1961 (43 of 1961).

   (3) A body corporate, association or organization-

   (i) Not incorporated or registered in India; or

   (ii) Incorporated or registered in India under any law for the time being in force which has any non-Indian participation in its share capital or management.

In this connection, I am herewith submitting the following declaration:-

*** I / we hereby declare that I / we "fall"/ "do not fall" under the scope of the provision contained in section 3(2) of the Biological Diversity Act, 2002 (18 of 2003).**

(*Strike out which is not applicable)

Date: Place:	Name & Signature of the Applicant/* * Authorised Signatory Address: Seal:

**If you are a Authorised Signatory please provide power of attorney in original.

To,

Member-Secretary
Madhya Pradesh State Biodiversity Board
26, Kisan Bhawan,
I Floor, Arera Hills, Bhopal- 462 011.

Annexure 1-T

Turnover Details for last three years (For Trader)

(Form 1 Part - A Point 1 (viii) and 2 (i, ii, v, vi, viii))

Name of Bio-resource (local)	Name of Bio-resource (Scientific)	Quantity in KGs	Purchase Price 1 KG in Rs.	Location of the Godown and its full address	Location of proposed collection							Collection Duration	Name and full address of buyer
					Revenue Area				Forest Area				
					BMC	Village	Block	District	Beat	Range	Division		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)

Note : As per need additional papers may be attached to give information in the prescribed format.

Signature

Name of the trader/ company/ manufacturer/ Authorized Representative

Annexure 1-M

Turnover Details for last three years (For Manufacture)

(Form 1 Part - A Point 1 (viii) and 2 (i, ii, v, vi, viii))

Name of Bio-resource (local)	Name of Bio-resource (Scientific)	(Quantity in KGs)	Purchase Price 1 KG in Rs.	Name of buyer/ address/mobile Mail/website	Location of the Godown and its full address	Detailed of product manufactured		Sale Price	Use of left bio-resource	Other Details
						Extract etc.	Finished Product			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)

Note : As per need additional papers may be attached to give information in the prescribed format.

Signature

Name of the trader/Company/manufacturer/Authorized Representative.".

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2019.